संख्या : 64/XVII-02/2008-376(स0क0)/2002

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक : 12 मार्च 2008

विषयः-अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्राप्त आवेदन पत्रों की वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 3803/स0क0/अ0जा0अ0 धार्मिक वि0पु0/2007-08 दिनांक 17.01.2008 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या : 2/7/73 रा0ए0की0 दिनांक 16 जुलाई, 1976 तथा समय-समय पर संशोधित नियमावली के नियमों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित 11 (ग्यारह) दम्पतियों को वित्तीय वर्ष 2007-08 में अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाने हेतु रू0 1,10,000.00 (रू0 एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अन्तर्जातीय विवाह के अन्तर्गत एक पक्ष अनुसूचित जाति का तथा अन्तर्धार्मिक विवाह के अन्तर्गत दोनों पक्ष भिन्न-भिन्न धर्म के होने आवश्यक है, तथा यह प्रोत्साहन पुरस्कार केवल एक बार ही अनुमन्य होगा।
2. पुरस्कार प्राप्त करने वाले विवाहित दम्पति में से किसी सदस्य द्वारा पृथक्कीकरण, विवाह विच्छेद या विवाह विघटन कर लेने पर दम्पति पुरस्कार की सम्पूर्ण धनराशि सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे, और यह भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूलीय होगी।
3. यदि बिना किसी न्यायसंगत कारण के और विवाह के दिनांक से प्रारम्भ होकर पाँच वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दम्पति के वैवाहित सम्बन्ध टूट जाते हैं, तो तदोपरान्त पुरस्कार का सम्पूर्ण धनराशि या मूल्य भू-राजस्व बकाया की भाँति वसूली की जायेगी।

4. पुरस्कार की धनराशि रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) पात्र दम्पति को संयुक्त रूप से अनुमन्य होगा।
5. उक्त धनराशि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड आहरित करके सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारी सम्बन्धित दम्पतियों का सत्यापन करके पुरस्कार वितरण सामूहिक रूप से समारोहपूर्वक करेंगें।
6. अन्तर्धार्मिक विवाह के मामलों में शर्त यह होगी कि अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पतियों को धर्म परिवर्तन नहीं होगा।
7. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–02–समाज कल्याण–800–अन्य व्यय– 00–05–अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (आयोजनेत्तर)" के सामने मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
8. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या: 459 (एनपी)/xxvii(3)/2008 दिनांक 19 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 64/XVII–02/2008–376(स0क0)/2002 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0के0चौहान)
अनु सचिव।

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची

क्र0 सं0	विवाहित दम्पति का नाम	आयु	पिता का नाम	जाति/धर्म	पता	विवाह की तिथि	विवाह की रीति	अभ्युक्ति
1	श्री [illegible] श्रीमती [illegible] देवी	30 20	श्री [illegible] राम श्री [illegible] सिंह	अनुजाति/हिन्दू राजपूत/हिन्दू	[illegible] नैनीताल। [illegible] नैनीताल।	25.05.2006	विशेष विवाह अधिनियम 1954	अन्तर्जातीय विवाह
2	श्री [illegible] श्रीमती [illegible]	23 18	स्व0 श्री [illegible] श्री प्रेमचन्द्र तिवारी	अनुजाति/हिन्दू ब्राह्मण/हिन्दू	न्यू [illegible], अल्मोड़ा। [illegible], अल्मोड़ा।	26.07.2006	जिला निबन्धक हिन्दू विवाह अल्मोड़ा	अन्तर्जातीय विवाह
3	श्री [illegible] सिंह [illegible] श्रीमती [illegible]	25 30	श्री गोविन्द सिंह स्व0 श्री [illegible] राम	राजपूत/हिन्दू अनुजाति/हिन्दू	[illegible], अल्मोड़ा। [illegible], अल्मोड़ा।	06.02.2006	हिन्दू विवाह अधिनियम 1973	अन्तर्जातीय विवाह
4	श्री [illegible] श्रीमती [illegible]	22 19	श्री [illegible] श्री विक्रम सिंह	अनुजाति/हिन्दू राजपूत/हिन्दू	ग्राम-कण्डई, पो0-आली पोखरी, चमोली। ग्राम-कण्डई, पो0-आली पोखरी, चमोली।	23.04.2007	हिन्दू विवाह अधिनियम 1956	अन्तर्जातीय विवाह
5	श्री [illegible] श्रीमती [illegible]	27 26	श्री [illegible] श्री [illegible] सिंह	[illegible]/मुस्लिम अनुजाति/हिन्दू	[illegible], शिव मन्दिर लाइन, [illegible] [illegible] पिथौरागढ़।	04.05.2007	विशेषविवाह अधिनियम 1954 की धारा 16 के अधीन	अन्तर्धार्मिक विवाह
6	श्री [illegible] कुमार श्रीमती [illegible] देवी	23 19	श्री [illegible] श्री [illegible] चन्द्र	अनुजाति/हिन्दू ब्राह्मण/हिन्दू	[illegible] लाइन पिथौरागढ़। [illegible] लाइन पिथौरागढ़।	24.12.2006	हिन्दू विवाह अधिनियम	अन्तर्जातीय विवाह
7	श्री [illegible] श्रीमती [illegible]	28 30	श्री अख्तर अली श्री [illegible] आर्या	मुस्लिम अनुजाति/हिन्दू	[illegible]-नैनीताल। [illegible]-नैनीताल।	05.[illegible].2006	विशेषविवाह अधिनियम 1954 की धारा 13 के अधीन	अन्तर्धार्मिक विवाह
8	श्री [illegible] अहमद श्रीमती [illegible]	27 26	श्री [illegible] श्री दिवान सिंह	मुस्लिम/[illegible] अनुजाति/हिन्दू	[illegible] कॉलोनी भुवाली-नैनीताल। भुवाली-नैनीताल।	04.06.2007	विशेषविवाह अधिनियम 1954 की धारा 13 के अधीन	अन्तर्धार्मिक विवाह
9	श्री [illegible] पाल [illegible]	32 22	श्री [illegible] लाल श्री नरेन्द्र कुमार [illegible]	अनुजाति/हिन्दू पिछड़ी जाति हिन्दू	[illegible]-लाइन नं0-15, हल्द्वानी। [illegible] सोनीपत, हरियाणा।	19.04.2006	आर्य समाज मन्दिर में	अन्तर्जातीय विवाह
10	श्री [illegible] चन्द्र आर्य श्रीमती [illegible] देवी	25 24	श्री [illegible] राम आर्य श्री [illegible] सिंह [illegible]	अनुजाति/हिन्दू राजपूत/हिन्दू	[illegible], हल्द्वानी [illegible] हल्द्वानी, नैनीताल।	24.06.2007	हिन्दू विवाह अधिनियम 1973	अन्तर्जातीय विवाह
11	श्री [illegible] श्रीमती [illegible]	38 24	स्व0 श्री [illegible] श्री [illegible] सिंह [illegible]	ब्राह्मण/हिन्दू अनुजाति/हिन्दू	[illegible]-अल्मोड़ा/[illegible] जोशी, [illegible] [illegible]-पिथौरागढ़।	14.02.2007	हिन्दू विवाह अधिनियम 1973	अन्तर्जातीय विवाह

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।